

02.05.2018

राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री जे०एन०मथुरिया(आर०ए०एस०)
आर.सी.एम.एस 2017 / 00317
अपील संख्या 155 / 17 (223 आर.टी.ए)
उनवान:- मनीराम बनाम सहजराम

वकुलाय/फरीकेन उपस्थित बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील उभयपक्ष की बहस से स्पष्ट है, कि कुरेजात तहसीलदार के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में तैयार नहीं किये गये है, अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्याय आपके द्वार अभियान में तहसीलदार के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में नियमों की पालना करते हुए कुरे बनवाये जावे एवं उभयपक्ष को सुनकर निर्णय पारित किया जावें।

पत्रा० फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे एवं वाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया।